न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

...ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	निर्देशानुसार तैयार किये जाकर कुरेजात रिपोर्ट मंगवाये जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। वास्ते प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त होने विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर पत्रावली दिनांक 08.09.2022 को पेश हो। 30/08/22 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	
08-09-2022	वकील वादी उप० मकरण में जारी प्रारम्भिक डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी कर पत्रावली दिनांक 06-10-2022 को पेश हो। दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	2098/रीडर 9-9-2022
6-10-2022	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 28-11-22 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपर (सीकर	
28-11-2022	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में [illegible] वकील वादी [illegible] द्वारा वकील वादी ने [illegible] प्रकरण में तहसी[illegible] श्रीमा[illegible] से सहमति व्यक्त करते हुए अन्तिम डिक्री जारी [illegible] जाने का निवेदन किया। जिस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा का अवलोकन किया गया। —लगातार—	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:44:03 IST
Reason: SelfAttested

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर)

महिपाल सिंह .... बनाम .... कुरडा सिंह

नं. 78 सन् 2022

किस्म मुकदमा .... दावा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
	जिनके अवलोकन से वादी वकील द्वारा प्रस्तुत ... बंटवारा से सम्बन्धित होने से प्रकरण में अतिन्म डिकी जारी किया जाना न्यायहित में उचित समझता हूँ। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत तकास्मा एंव स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट मय विभाजन प्रस्ताव को अंतिम डिकी का भाग बनाया जाता है। प्रकरण में निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 28/11/2 (... सिंह) उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:44:03 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
76/2022	2022/176	06.06.2022	28.11.2022 (अन्तिम डिक्री)

महिपालसिंह पुत्र हरिसिंह आयु वर्ष जाति राजपूत पेशा काश्त निवासी ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

—वादी

बनाम्

1. करणसिंह पुत्र कल्याणसिंह आयु वर्ष
2. भवानीसिंह पुत्र कल्याणसिंह आयु वर्ष
3. भंवर कंवर पत्नी कल्याणसिंह आयु वर्ष
4. नरपतसिंह पुत्र हठूसिंह आयु वर्ष
5. भंवरसिह पुत्र मालसिंह आयु वर्ष
6. शंकरसिंह पुत्र मालसिंह आयु वर्ष
7. श्रवणसिंह पुत्र पाबूदानसिंह आयु वर्ष
8. रामसिंह पुत्र पाबूदानसिंह आयु वर्ष
9. हनुमानसिंह पुत्र पाबूदानसिंह आयु वर्ष
10. मेना कंवर पत्नी महेन्द्रसिंह आयु वर्ष
11. दरयाब कंवर पत्नी भंवरसिंह आयु वर्ष
12. कुलदीपसिंह पुत्र भंवरसिंह आयु वर्ष
13. विक्रमसिंह पुत्र भग्गूसिंह आयु वर्ष
14. जगदीशसिंह पुत्र सुल्तानसिंह आयु वर्ष

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:44:03 IST
Reason: SelfAttested

15. भागीरथसिंह पुत्र सुल्तानसिंह आयु वर्ष
16. रघुवीरसिंह पुत्र सुल्तानसिंह आयु वर्ष
17. प्रधुमनसिंह पुत्र शंकरसिंह आयु वर्ष
18. पिंकी कंवर पुत्री शंकरसिंह आयु वर्ष
19. रतन कंवर बेवा शंकरसिंह आयु वर्ष
20. करणसिंह पुत्र भंवरसिंह आयु वर्ष
21. प्रेम कंवर पुत्री भंवरसिंह आयु वर्ष
22. सुमित्रा कंवर पुत्री भंवरसिंह आयु वर्ष
23. रामसिंह पुत्र मांगूसिंह आयु वर्ष
24. पूरणसिंह पुत्र मांगूसिंह आयु वर्ष
25. सरदारसिंह पुत्र मांगूसिंह आयु वर्ष
26. प्रहलादसिंह पुत्र मांगूसिंह आयु वर्ष
27. भंवरसिंह पुत्र मेघसिंह आयु वर्ष
28. मनू कंवर पत्नी समदंरसिंह आयु वर्ष
29. मोहितसिंह पुत्र समदरसिंह आयु वर्ष
30. नीतू कंवर पुत्री समंदरसिंह आयु वर्ष
31. ज्योति कंवर पुत्री समदंरसिंह आयु वर्ष
32. बबली कंवर पुत्री समदंरसिंह आयु वर्ष
33. प्रेमसिंह पुत्र हरिसिंह आयु वर्ष
34. शिरू कंवर पुत्री हरिसिंह आयु वर्ष
35. दफू कंवर पुत्री हरिसिंह आयु वर्ष
36. कैलाश कंवर पुत्री हरिसिंह आयु वर्ष

समस्त जाति राजपूत निवासी [illegible]

श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

37. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh

Date: 2022.12.28 12:44:03 IST

Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

38. पटवारी हल्का बागरियावास श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

----प्रतिवादीगण

उपस्थितः–

श्री रघुनाथ सिंह शेखावत, एड0 वादी अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 37 की ओर से

वादपत्र बाबत तकास्मा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 707 रकबा 0.0500 गै.मु.चाह व भूमि खसरा नम्बर 708 रकबा 3.9000 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 3.95 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम पृथ्वीपुरा पटवार हल्का बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित हैं। जिसकी वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 33 ता 36 के नाम 1/8 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 के नाम 1/28 हिस्सा तथा प्रतिवादी नम्बर 4 के नाम 1/28 हिस्सा तथा प्रतिवादी नम्बर 5 व 6 के नाम 1/28 हिस्सा व प्रतिवादी नम्बर 7 के 1/28 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 8 के 1/28 हिस्सा व प्रतिवादी नम्बर 9 के 1/224 हिस्सा व प्रतिवादी नम्बर 10 के 1/32 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 11 से 13 के 1/28 हिस्सा दर्ज हैं क्योकि मृत्तका रसाल कंवर बेवा भगूसिंह के यही वारिसान एंव उत्तराधिकारी है। इसी प्रकार प्र[illegible] के नाम 1/4 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 20 से 22 के नाम 1/4 [illegible] प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 23 से 32 तक के नाम 1/8 हिस्सा राजस्व रि[illegible] में दर्ज हैं तथा वादी व प्रतिवादीगण इसी अनुसार काबिज व काश्त हैं। खातेदा[illegible]रकंवर पत्नी पाबूदानसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:44:03 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

फौत हो चुकी है इस कारण उसका हिस्सा 1/32 उसके वारिसान प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 13 के हिस्सा में मर्ज किया है। पक्षकारान के बुजुर्गान ने उक्त कृषि भूमि का बाहमी बंटवारा अर्सा करीबन 60–65 वर्ष पूर्व कर दिया था। उक्त बंटवारा बुजुर्गान ने उक्त भूमियो की उपजाऊ क्षमता कम अधिक के आधार पर किया था। इस कारण राजस्व रिकार्ड के अनुसार कब्जा काश्त न होकर उक्त बाहमी बंटवारा अनुसार पक्षकारान का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं किन्तु राजस्व रिकार्ड शामलाती चला आ रहा होने से पक्षकारान को मिलने वाली कृषि सुविधाओं के लिए एक–दुसरे की सहमति लेनी पड़ती हैं। जिससे काफी समस्या खड़ी होकर आपसी मनमुटाव हो जाता हैं तथा पक्षकारान आवश्यकतानुसार अपनी–अपनी कृषि भूमियों का समुचित विकास करने से वंचित रह रहे हैं जिस कारण उक्त कृषि भूमि का कानूनन विभाजन करवाया जाना अतिआवश्यक एंव न्यायोचित हो गया हैं। विधिक विभाजन नही होने से पक्षकारान को एक–दुसरे की कृषि जोत में आने–जाने हेतु काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं इस कारण वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त भूमि का विधिक तकास्मा करवाने हेतु बार–बार निवेदन किया कि पहले तो प्रतिवादीगण हां करते रहे किन्तु दिनांक 24.05.2022 को विधिक विभाजन करवाने हेतु स्पष्ट इंकार हो गये इस कारण श्रीमान् के समक्ष वाद कारण उत्पन्न होने पर दावा तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ हैं। वादी कृषि भूमि के कार्य के साथ–साथ मजदूरी का कार्य भी करता हैं इस कारण काफी गरीब व कमजोर व्यक्ति हैं तथा प्रतिवादीगण एक संगठन के रूप में बने हुये हैं इस कारण हर समय प्रतिवादीगण से वाद विवाद नही कर सकता हैं इस कारण भी दावा पेश करना आवश्यक हुआ हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय हैं कि भूमि खसरा नम्बर 707 गै.मु. चाह हैं जो वादी व प्रतिवादीगण का शामलाती रहेगा ताकि पक्षकारान अपने–अपने औसरेवार सिंचाई कर सकें। प्रतिवादीगण नम्बर 23 से 36 व वादी एक ही सजरा खानदान के सदस्य [illegible] उनका हिस्सा संयुक्त रूप से रखा जाकर उनके हिस्से का [illegible] हिस्सा शामलाती दर्ज किया जावें। वादी अकेला व कमजोर व्यक्ति है तथा प्रतिवादीगण संख्या बल में अधिक होने से वादी को हैरान व परेशान कर रहे हैं इस कारण वादी प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:44:03 IST
Reason: SelfAttested

28/11/22
दिलीप सिंह
खण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का कानूनी अधिकारी है। वकील वादी ने दावा प्रस्तुत कर वादी का वाद बहक विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न रूपेण डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया है :– कृषि भूमि खसरा नम्बर 707 गै.मु.चाह पक्षकारान का शामलाती राजस्व रिकार्डनुसार हिस्सा दर्ज रहने तथा भूमि खसरा नम्बर 708 रकबा 3.900 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर का बाहमी बंटवारानुसार चले आ रहे हैं, कब्जा काश्तनुसार पक्षकारान के मध्य विधिक विभाजन किया जाकर वादी को प्रतिवादीगण नम्बर 33 से 36 के साथ 1/8 हिस्सा का व प्रतिवादीगण नम्बर 23 ता 32 को 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर उपरोक्त प्रतिवादीगण व वादी को सम्पूर्ण के 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार शामलाती घोषित किया जावें व अलग राजस्व रिकार्ड बनाया जाकर उक्त 1/4 हिस्से का अलग लगान कायम किया अलग नक्शा में तरमीम उक्त हिस्सा 1/4 किया जावें तथा शेष प्रतिवादीगण में प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 13 को उनके हक हिस्सा व कब्जेनुसार विधिक विभाजन कर उनका हिस्सा अलग–अलग बट्टा नम्बर डालकर अलग किया जावें तथा इसी प्रकार प्रतिवादीगण नम्बर 20 से 22 को उनके हिस्सा 1/4 का मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार अलग रकबा डालकर अलग खातेदार व काश्तकार घोषित किया जावें तथा इसी प्रकार प्रतिवादीगण नम्बर 14 से 19 को उनके हिस्सा 1/4 का मौके से कब्जा काश्त के अनुसार अलग रकबा कायम कर अलग से खातेदार व काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु वाद वास्ते तकास्मा एंव स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक सम[illegible] से तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 38 को [illegible] रजिस्टर्ड डाक से करवाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं [illegible] लगायत 38 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी [illegible] साक्ष्य पेश नहीं किया। अतः साक्ष्य वादी बन्द की गई। वकील वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 38 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:44:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

बावजूद रजिस्टर्ड डाक के भी हाजिर अदालत नहीं आने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से वादग्रस्त आराजी भूमियों का वादी एंव प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 36 के मध्य उनके राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक हिस्से व मौके पर स्थित कब्जे काश्त अनुसार विधिक विभाजन करवाया जाकर रास्ते की सुविधा उपलब्ध कराते हुए अलग बट्टा नम्बर डालकर वादी व प्रतिवादीगण का राजस्व रिकार्ड अलग बनाया जाकर अलग से लगान कायम करते हुए अलग–अलग सीवं कायम कर नक्शे में तरमीम करवाये जाने हेतु विधिक विभाजन प्रस्ताव मँगवाये जाने बाबत निवेदन किया। वकील वादी के निवेदन पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की जाकर सीधे ही उभय पक्षकारान् के राजस्व हक हिस्से में दर्ज हिस्से व मौके पर स्थित कब्जे काश्त अनुसार विधिक विभाजन तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मँगवाये जाने हेतु न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 30.08.2022 को जारी की गई थी।

प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 30.08.2022 को जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम– 18 से 21 के अनुसार एंव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/स्था/ प–51/ 2008/विविध 10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर जरिये पत्रांक 2098/रीडर/2022 दिनांक 09.09.2022 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग–अलग रंगों में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाहीं गई थी। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट [illegible] के जरिये पत्रांक 2923/भू.अ./2022 दिनांक 21.11.2022 [illegible]। जो शामिल पत्रावली संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:44:03 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

वकील वादी ने प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य आपस में राजीनामे हो जाने तथा अन्य पक्षकारान् के द्वारा वादी के पक्ष में सहमति प्रदान कर दिये जाने से तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट से वकील वादी के सहमत होने से वकील वादी ने प्रकरण में बहस सुनी जाकर प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। वकील वादी ने प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव में अंकित विवरणानुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। अतः वकील वादी व पक्षकारान् की सहमति एंव अनापत्ति के आधार पर प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने से अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायहित में उचित समझता हूँ।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत तकास्मा एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 36 के मध्य हुए बंटवारा अनुसार तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शा अनुसार दिनांक 21.11.2022 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव व ट्रेस के आधार पर निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:44:03 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

...बन्दी के अनुसार प्रविष्टियाँ:-

काश्तकार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1.करण सिंह पुत्र भंवर सिंह हिस्सा 3/14 रहन आईडीबीआई शाखा भारणी हिस्सा 1/8	707	0.05	गै.मु.आ	-
2.जगदीश सिंह पुत्र सुल्तान सिंह हिस्सा 1/16	706	3.90	चाही 2 2.90 बारानी 2 0.87 बारानी 3 0.13	64.74 3.44 0.28
3.पूरण सिंह पुत्र मांगू सिंह हिस्सा 1/48				
4.प्रद्युम्न सिंह पुत्र शंकर सिंह हिस्सा 1/48				
5.प्रेम कंवर पुत्री भंवर सिंह हिस्सा 1/56				
6.प्रहलाद सिंह पुत्र मांगू सिंह हिस्सा 1/48				
7.पिंकी कंवर पुत्री शंकर सिंह हिस्सा 1/48				
8.भंवर सिंह पुत्र मेघसिंह हिस्सा 1/48				
9.भागीरथ सिंह पुत्र सुल्तान सिंह हिस्सा 1/16				
10.रघुवीर सिह पुत्र सुल्तान सिंह हिस्सा 1/16 रहन एसबीआई शाखा श्रीमाधोपुर				
11.रतन कंवर पत्नि स्व.शंकर सिंह हिस्सा 1/48				
12.राम सिंह पुत्र मांगू सिंह हिस्सा 1/48				
13.समंदर सिंह पुत्र मांगू सिंह हिस्सा 1/48				
14.सुमित्रा कंवर पुत्री भंवर सिंह हिस्सा 1/56				
15.सरदार सिंह पुत्र मांगू सिह हिस्सा 1/48				
16.हरिसिंह पुत्र महेशदानसिंह हिस्सा 1/8	किता 2	3.95	-	68.46
17.करण सिंह पुत्र कल्याण सिंह हिस्सा 1/96				
18.नरपत सिंह पुत्र हठू सिंह उर्फ हटू सिंह हिस्सा 1/32				
19.भंवर कंवर पत्नि कल्याण सिंह हिस्सा 1/96				
20.भंवर कंवर पत्नि पाबूदान सिंह हिस्सा 1/32				
21.भंवर सिंह पुत्र मालसिंह हिस्सा 1/64 रहन पीएनबी शाखा श्रीमाधोपुर				
22.भवानी सिंह पुत्र कल्याण सिंह हिस्सा 1/96				
23.मैना कंवर पत्नि महेन्द्र सिंह हिस्सा 1/32				
24.रसाल कंवर पत्नि भगू सिंह हिस्सा 1/96				
25.रामसिंह पुत्र पाबूदान सिंह हिस्सा 1/32				
26.विक्रम सिंह पुत्र भगू सिंह हिस्सा 1/96				

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:44:03 IST
Reason: SelfAttested

28/11/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

...शंकर सिंह पुत्र माल सिंह हिस्सा 1/64 रहन आईसीआईसीआई बैंक शाखा श्रीमाधोपुर ...बदन सिंह पुत्र पाबूदान सिंह हिस्सा 1/32 ...भंवर सिंह पुत्र भागू सिंह हिस्सा 1/96 समस्त जाति राजपूत सा.देह खातेदार				

पक्षकारान् के मौके पर कब्जा काश्त अनुसरार प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव अनुसार है:–

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	पूर्ण सिंह, सरदार सिंह, प्रहलाद सिंह, रामसिंह पुत्रगण मांगूसिंह ब.हि.ब. हिस्सा 1/3 भंवर सिंह पुत्र मेघ सिंह हिस्सा 1/12 मनू कंवर पत्नि समंदर सिंह, मोहित सिंह पुत्र समंदर सिंह, नीतू कंवर, ज्योति कंवर, बबली कंवर पुत्रियाँ समंदर सिंह ब.हि.ब. हिस्सा 1/12, प्रेमसिंह, महिपाल सिंह पुत्रगण हरिसिंह, शीरू कंवर, दफू कंवर, कैलाश कंवर पुत्रियाँ हरिसिंह ब.हि.ब. हिस्सा 1/2 समस्त जाति राजपूत सा. देह खातेदार	708/1 708/7	0.81 0.24	चाही 2 बा. 3 0.13 चाही 2 0.11	18.09 0.26 0.26
		किता 2	1.05	चाही 2 0.92 बा. 3 0.13	20.81
2	जगदीश सिंह, भागीरथ सिंह, रघुवीर सिंह पुत्रगण सुल्तान सिंह ब.हि.ब. 3/4, प्रद्युम्न सिंह पुत्र शंकर सिंह, पिंकी कंवर पुत्री शंकर सिंह, रतन कंवर पत्नि शंकर सिंह ब.हि.ब. 1/4 समस्त जाति राजपूत सा. देह खातेदार रहन SBI शाखा श्रीमाधोपुर रघुवीर सिंह पुत्र सुल्तान सिंह का हिस्सा 1/4	708/6 708/8	0.25 1.01	बा. 2 चाही 2 0.39 बा. 2 0.62	1.00 8.71 2.44
		[illegible]	1.26	बा. 2 चाही 2 0.39 बा. 2 0.62	12.15

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:44:03 IST
Reason: SelfAttested

28/11/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

03	करण सिंह पुत्र भंवर सिंह हिस्सा 6/7 शामिल IDBI बैंक लि. शाखा भारणी प्रेम कंवर, सुमित्रा कंवर पुत्रियाँ भंवर सिंह ब.हि.ब. हिस्सा 1/7 समस्त जाति राजपूत सा. देह खातेदार	708/3 708/4	0.51 0.25	चाही 2 चाही 2	11.39 5.58
		किता 2	0.76	चाही	16.97
04	जगदीश सिंह, भागीरथ सिंह, रघुवीर सिंह पुत्र सुल्तान सिंह ब.हि.ब. हिस्सा 3/16 प्रद्युम्न सिंह पुत्र शंकर सिंह, पिंकी कंवर पुत्री शंकर सिंह, रतन कंवर पत्नि शंकर सिंह हिस्सा 1/16 रहन रघुवीर सिंह पुत्र सुल्तान सिंह हिस्सा 1/16 S.B.I शाखा श्रीमाधोपुर करण सिंह पुत्र भंवर सिंह हिस्सा 3/14 रहन IDBI बैंक शाखा भारणी प्रेम कंवर, सुमित्रा कंवर पुत्रियां भंवर सिंह ब.हि.ब. हिस्सा 1/28 करण सिंह, भवानी सिंह पुत्र कल्याण सिंह, भंवर कंवर पत्नि कल्याण सिंह हिस्सा 1/28 नरपत सिंह पुत्र हडु सिंह हिस्सा 1/28 दरियाव कंवर पत्नि भंवर सिंह, कुलदीप सिंह पुत्र भंवर सिंह ब.हि.ब. हिस्सा 1/56 विक्रम सिंह पुत्र भगू सिंह हिस्सा 1/56 भंवर सिंह पुत्र माल सिंह हिस्सा 1/56 रहन PNB शाखा श्रीमाधोपुर शंकर सिंह पुत्र माल सिंह हिस्सा 1/56 रहन ICICI बैंक शाखा श्रीमाधोपुर मैना कंवर पत्नि महेन्द्र सिंह हिस्सा 1/32 हनुमान सिंह पुत्र पाबूदान सिंह हिस्सा 1/224 रामसिंह, श्रवणसिंह पुत्र पाबूदान सिंह ब.हि.ब. हिस्सा 1/14 पूर्णसिंह, प्रहलादसिंह, रामसिंह, सरदारसिंह ब.हि.ब. हिस्सा 1/12 भंवरसिंह पुत्र मेघसिंह हिस्सा 1/48 मनू कंवर पत्नि समंदर सिंह, मोहित सिंह पुत्र समंदर सिंह, नीतु कंवर, ज्योति कंवर, बबली कंवर पुत्रियाँ समंदर सिंह ब.हि.ब. हिस्सा 1/48 प्रेम सिंह, महिपाल सिंह पुत्र हरिसिंह, शीरू कंवर, दफू कंवर, कैलाश कंवर पुत्रियां हरिसिंह ब.हि.ब. हिस्सा 1/8 समस्त जाति राजपूत सा. देह खातेदार	708/9 708/10 707	0.05 0.04 0.05	चाही 2 चाही 2 गै.मु.चाह	1.20 0.81 –
		किता 3	0.14	चाही 2 0.9 गै.मु.चाह 0.05	2.01

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:44:03 IST
Reason: SelfAttested

...सिंह, श्रवणसिंह पुत्रगण पाबूदान सिंह ब.हि.ब. हिस्सा 2/7 ...सिंह, भवानी सिंह पुत्र कल्याण सिंह, भंवर ... पत्नि कल्याणसिंह ब.हि.ब. हिस्सा 1/7 ...सिंह पुत्र हठूसिंह हिस्सा 1/7 ...रियाव कंवर पत्नि भँवर सिंह, कुलदीप सिंह पुत्र भँवर सिंह ब.हि.ब. हिस्सा 1/14 मैना कंवर पत्नि महेन्द्र सिंह हिस्सा 1/8 हनुमान सिंह पुत्र पाबूदान सिंह हिस्सा 1/56 भंवर सिंह पुत्र मालसिंह हिस्सा 1/14 रहन PNB श्रीमाधोपुर शंकरसिंह पुत्र मालसिंह हिस्सा 1/14 रहन ICICI लि. शाखा श्रीमाधोपुर विक्रम सिंह पुत्र भगू सिंह हिस्सा 1/14 समस्त जाति राजपूत सा. देह खातेदार	708/2 708/5	0.51 0.23	चाही 2 चाही 2	चाही 2 चाही 2
	किता 2	0.74	चाही 2	16.52

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पंत्राक 2923/भू.अ./22 दिनांक 21.11.2022 के द्वारा प्राप्त विविध विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

28/11/22
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 28[illegible]22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:44:03 IST
Reason: SelfAttested

28/11/22
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर(सीकर)